न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला- पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 181/2012

सायलानः-
1. प्रहलाद पुत्र परबूराम
2. पप्पूराम पुत्र परबूराम
3. गौतम पुत्र परबूराम
4. बद्रीलाल पुत्र परबूराम
5. रमेश पूत्र परबूराम

जातियान-रेगर, निवासी-बलाडा, तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

गैरसायलान :-
1. पारसराम पुत्र घेवरराम
2. श्रवणलाल पुत्र घेवरराम
3. सायरी बेवा घेवरराम

जातियान-रेगर, निवासीगण-बलाडा तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
4. तहसीलदार एवं पंजीयन अधिकारी जैतारण, तह.-जैतारण,जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 17/09/2012

उपस्थितः. 1 श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
2 श्री महेन्द्र गुर्रा, अधिवक्त, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 10/06/2015

वकील मय सायलान ने एक राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध गैरसायलसान इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं राजस्व मौजा-बलाडा, पटवार हल्का-बलाडा, तहसील-जैतारण में सायलान की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर- 1319 रकबा- 16-18 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जिसके सायलान काबिज खातेदार काश्तकार है। नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। भूमि को आगे भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। सायलान की वंक्षावली अनुसार मूल पुरूष हजारीराम पुत्र गणेशराम का पुत्र परबूराम के पुत्रगण प्रहलाद, पप्पूराम, गौतम, बद्रीलाल, रमेश हैं। उक्त वर्णित वंशावली के माफिक सायलान सभी हजारीराम पुत्र गणेश पोत्र हैं। सायलान के पिता परबूराम उर्फ प्रभूराम का स्वर्गवास दिनांक 22/04/1997 को हो गया था। जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल इस प्रार्थना-पत्र के साथ पेश की हैं। उक्त वर्णित विवादित भूमि के वक्त सैटलमेन्ट के समय काबिज खातेदार काश्तकार हजारीराम वल्द गणेशराम कौम-रेगर, निवासी-बलाडा वाले थें। जिसके सबूत के रूप में मिसल बंदोबस्त संवत 2011 से 2030, जमाबंदी संवत 2016 से 2019 की प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। मौजा-बलाडा में ही गैरसायलान के दादा हजारी वल्द चुतरा रेगर भी रहते थें। जिनकी खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 1314 रकबा 3-12 बीघा की आई हुई थी। सायलान के दादा हजारीराम वल्द गणेश तथा गैरसायलान के दादा हजारीराम वल्द चुतराराम अलग-अलग व्यक्ति थे। लेकिन दोनो ही जाति से रेगर थे। जमाबंदी संवत 2016 से 2019 में खाता संख्या 273 के खातेदार सायलान के दादा हजारी वल्द गणेश थे तथा खाता संख्या 274 के खातेदार हजारी वल्द चुतराराम थे। तत्पश्चात हल्का पटवारी ने चौशाला जमाबंदी बनाते समय खसरा नंबर 1319 की जमीन हजारी वल्द चुतराराम के नाम दर्ज कर दी तथा सायलान के दादा के नाम की दर्ज जमीन को गैरसायलान के दादा के खाते में लिख दिया, जो कतई गलत है। जिसके सबूत के रूप में जमाबंदी संवत 2020 से 2023 की इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं। विवादित आरजी हजारी वल्द चुतराराम के नाम गलती से दर्ज कर दी गई थी। लेकिन मौके पर कब्जा व काश्त सायलान के दादा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हजारी वल्द गणेश का ही था। तत्पश्चात हजारी के फौत होने पर सायलान के पिता इस वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगे थें। सायलान के पिता भी अनपढ थें। उन्होने कभी राजस्व रेकर्ड की जानकारी प्राप्त नहीं की थी। लेकिन मौके पर कब्जा काश्त परबूराम उर्फ प्रभूराम पुत्र हजारीराम जो कि गणेश के पुत्र थे का था। परबूराम का स्वर्गवास हो जाने पर उनके जायन्दा पुत्र सायलान इस आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार के रुप में काबिज होकर काश्त करने लगें। आज दिन तक इस भूमि पर सायलान का ही कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं। इसी माफिक सायलान अपने हक व अधिकारों की घोषणा करवाने व इस विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश हैं। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा उक्त आराजी विधिक प्रावधानों से परे जाकर गैरसायलान के दादा हजारी वल्द चुतराराम के नाम दर्ज करते हुये उनके खाते में लिख दी थी। तत्पश्चात हजारी वल्द चुतराराम के फौत होने पर उनके जायन्दा पुत्र घेवरिया, बुधीया पिसरान हजारी के नाम दर्ज हो गई थी। जिसके सबूत के रुप में जमाबंदी संवत 2036 से 2039 की इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।। उक्त घेवरिया, बुधीया पिसरान हजारी रेगर जाति में बाकोलिया गौत्र के है।। जबकि सायलान चुनगरीया रेगर है। आराजी घेवरिया बुधीया पिसरान हजारी के नाम गलत दर्ज हुई थी। मौके पर उनका भी कब्जा काश्त व हक व अधिकार नहीं रहा था। बुधीया पुत्र हजारी अविवाहित फौत हो गये है। इसी प्रकार घेवरिया पुत्र हजारी भी फौत हो गये हैं। जिस पर गैरसायलान के नाम उक्त वादग्रस्त भूमि दर्ज की जा चुकी है परन्तु मौके पर कब्जा सायलान का ही चला आ रहा हैं। भूमि भी सायलान की पैतृक व पुश्तैनी हैं। वादग्रसत भूमि के राजस्व रेकर्ड में गैरसायलान के नाम की प्रविष्टि गलत चल रही हैं। उक्त भूमि पुनः सायलान के नाम दर्ज की जाना आवश्यक हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि सायलान की पैतृक व पुश्तैनी हैं। जिस पर सायलान के पिता के समय से कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं। तत्कालीन हल्का पटवारी ने विधिक प्रावधानों से परे जाकर उक्त भूमि गैरसायलान व उनक पिता दादा के नाम दर्ज कर दी थी। जो कतई गलत व विधि विरुद्ध हैं। वर्तमान में कृषि भूमियों की कीमतें बढ जाने की वजह से गैरसायलान की नियत अब खराब हो रही है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में गैरसायलान के नाम दर्ज होने की वजह से गैरसायलान जरिये रहन, बेचान, बक्शीश के इस भूमि को अन्य हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। यदि गैरसायलान उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में उनके नाम दर्ज होने की वजह से जरिये रहन बेचान,वसीयत के अन्य हस्तान्तरण कर देते हैं, तो अजनबी केता इस आराजी से सायलान को बेदखल करेगें। सायलान अपने पैतृक पुश्तैनी इस कृषि भूमि से हमेशा-हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे। गैरसायलान ने दिनांक 15/08/2012 को सायलान को इस भूमि को जरिये बेचान के अन्य हस्तान्तरण की धमकी दी है मौके पर सायलान का ही कब्जा व काश्त हैं। यदि गैरसायलान ऐसा दुष्कृत्य करते है तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। सायलान गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगें एवं अजनबी केता को मौके पर कब्जा भी नही करने देगें। जिस पर गैरसायलान स्वयं भी विवाद करेगें व सायलान के कब्जे काश्त में दखलदांजी करेगें तब मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स होगी। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश हैं। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित हैं। यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती सायलान को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर दिया या

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सायलान के हक हिस्से की भूमि को जरिये रहन बेचान वसीयत के अन्य हस्तान्तरण कर दिया, तो सायलान को अपूरणीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। इसलिये सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के सादर प्रस्तुत हैं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के इस आशय की जारी करावें कि राजस्व मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण में सायलान की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1319 रकबा- 16-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल में सायलान माफिक हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करे या करावें एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावें तो उसमें गैरसायलान स्वयं उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार परिवार के सदस्य किसी प्रकार से कोई दखलदांजी हस्तक्षेप व बाधा पैदा नहीं करे न ही करावें। साथ ही गैरसायलान जरिये रहन, बेचान, वसीयत के अन्य हस्तान्तरण ही किसी अन्य को करे या करावें, ऐसा करने से भी गैरसायलान तमाम को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावें। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावें। कुल खर्चा मुकादमा सायलान को गैरसायलान से दिलावें। अन्य कोई सहायता जो सायलान प्राप्त करने के अधिकारी हो तो दिलाई जावें।

सायलान का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलाड़ा में पेश हुई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गै0सा0 को बार-बार समय दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया जाता हैं। सायलान की पैतक व पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि में वर्तमान मौके की तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को रोकने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17/09/12 को जारी हो चुकी हैं।

-:: आदेश ::-

अतः सायल का प्रस्तुत प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा-बलाडा में स्थित खसरा नम्बर- 1319 रकबा- 16-18 बीघा किस्म बारानी अव्वल में सायलान की पैतृक, पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की भूमि में गैरसायलान को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद निर्णय तक रोका जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलाड़ा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner